

AI  
w

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

कमांक :- राजस्व/भू0रू0/2014-15/1230-38

दिनांक :- 25.04.2015

-: संपरिवर्तन आदेश :-

अध्यक्ष नारायण शिक्षा सेवा समिति पीठ के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा एवं तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को उनकी खातेदारी अभिघृती मे धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 के नियम 9 के अर्थात् अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निचे दी गई हैं :-



1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम, अध्यक्ष नारायण शिक्षा सेवा समिति पीठ  
पिता, पति का नाम सहित श्री कालूराम पिता श्री गोयारलाल लवाडा  
क्या आवेदक अनुसूचित जाति या निवासी पीठ  
अनुसूचित जनजाति का सदस्य है? नहीं
3. संपरिवर्तन का ब्योरा

(क) ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील
पीठ	पीठ	सीमलवाडा
(ख) भूमि खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल		
खसरा नम्बर	रकबा	
3950/1884	2-10 बीघा	
3951/1883	2-10 बीघा	
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (होथा वर्गमीटर)		
खसरा नम्बर	रकबा	
3950/1884	2-10 बीघा	
3951/1883	2-10 बीघा	
<b>कुल</b>	<b>5-00 बीघा</b>	<b>(8094 वर्गमीटर)</b>

टिप्पणी :- (अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व वर्षों के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलारण है)

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : संस्थागत प्रयोजनार्थ (कॉलेज हेतु)
5. संदेय प्रीमियम की दर : डी.एल.सी.दर के अनुरूप 10% राशि अधिकतम होनी चाहिए
6. चालान की संख्या तथा तारीख से जमा कराई गई प्रीमियम की रकम

कुल योग :- 1,40,532/-

7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित यदि कोई हो शास्ति- -X-
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो- -X-
9. क्या आवेदक विनियमितिकरण के लिए नियम 12 'क' के अधीन जारी किया गया है- -X-
10. अन्य विशिष्टियों, यदि कोई हों- -X-
11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
  - 1- आवेदक द्वारा इण्डियन रोड कांग्रेस के मानदण्डों के अनुसार भूमि छोड़कर निर्माण किया जावेगा।
  - 2- आवेदक को राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प.6(8)राज-3/1992 पार्ट/23 दिनांक 17.7.07 की पालना करनी होगी।
  - 3- उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग उचित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं

किया जावे।

- 4- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन समपहृत हो जायेगा।
- 5- नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 6- प्रार्थी द्वारा रूपान्तरीत भूमि पर निर्माण कार्य से जल प्रवाह को बाधित नहीं किया जावेगा।

संलग्न:- नक्शा एक



क्रमांक :- सम/ 1230-36

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
2. तहसीलदार सीमलवाडा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत पीठ मार्फत-तहसीलदार सीमलवाडा
4. आवेदक श्री कालूराम पुत्र गोबरलाल लबाना अध्यक्ष नारायण शिक्षा सेवा समिति पीठ
5. जिला राजस्व लेखा शाखा कार्यालय हाजा
6. तहसील राजस्व लेखाकार सीमलवाडा द्वारा तहसीलदार सीमलवाडा
7. पटवारी हल्का पीठ द्वारा तहसीलदार सीमलवाडा
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर,  
जहानपुर

दिनांक-29 04.2015

जिला कलक्टर,  
जहानपुर